

- (क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, 30 जून, 2023 तक ऐसे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेंगे ;
- (ख) प्रतिसंहरण के लिए आवेदन, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख तक देय विवरणी प्रस्तुत करने और ऐसी विवरणी के निबंधनों के अनुसार कर के रूप में देय रकम का, ब्याज, शास्ति और ऐसी विवरणी के संबंध में विलंब फीस के लिए संदेय रकम सहित, संदाय करने के पश्चात् ही फाइल किया जाएगा;
- (ग) रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए ऐसे मामलों में और परिसीमा विस्तार, उपलब्ध नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, व्यक्ति, जो उक्त अधिनियम की धारा 30 में विनिर्दिष्ट परिसीमा के भीतर रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है, जिसकी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश या उक्त अधिनियम की धारा 107 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन खारिज करने के आदेश के विरुद्ध अपील उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट परिसीमा का पालन करने में असफल रहने के आधार पर खारिज की गई है।

[फा. सं. सीबीआईसी-20013/1/2023-जीएसटी]

आलोक कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2023

No. 03/2023 – CENTRAL TAX

G.S.R. 246(E).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies that the registered person, whose registration has been cancelled under clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 29 of the said Act on or before the 31st day of December, 2022, and who has failed to apply for revocation of cancellation of such registration within the time period specified in section 30 of the said Act as the class of registered persons who shall follow the following special procedure in respect of revocation of cancellation of such registration, namely:—

- (a) the registered person may apply for revocation of cancellation of such registration upto the 30th day of June, 2023;
- (b) the application for revocation shall be filed only after furnishing the returns due upto the effective date of cancellation of registration and after payment of any amount due as tax, in terms of such returns, along with any amount payable towards interest, penalty and late fee in respect of the such returns;
- (c) no further extension of time period for filing application for revocation of cancellation of registration shall be available in such cases.

Explanation: For the purposes of this notification, the person who has failed to apply for revocation of cancellation of registration within the time period specified in section 30 of the said Act includes a person whose appeal against the order of cancellation of registration or the order rejecting application for revocation of cancellation of registration under section 107 of the said Act has been rejected on the ground of failure to adhere to the time limit specified under sub-section (1) of section 30 of the said Act.

[F. No. CBIC-20013/1/2023-GST]

ALOK KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

सं. 04/2023-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 247(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2023 है।
- (2) ये 26 दिसंबर, 2022 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।